राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
राजस्थानजयपुर

क्रमांक F 26(4)(51)Aadhar/IEC/ICDS/2015/6363-6428 *जयपुर,दिनांक :* 12.1.2017
क्रमांक F11(201)/DoIT/Project/13/I/ 62779/2017 *जयपुर,दिनांक :* 12.1.2017

उप निदेशक (एनालिस्ट कम प्रोग्रामर)
सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग,
समस्त।

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषयः—राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तथा अन्य लाभार्थियों के आधार नामांकन बाबत्।

राज्य में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग, अर्थात समेकित बाल विकास सेवाएँ के समस्त लाभार्थियों के आधार पंजीयन को सुनिश्चित किया जाना है। विभाग द्वारा पूर्व में पत्र क्रमांक 115285—317 दिनांक 22.12.2015 के द्वारा इस संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए थे। UIDAI के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में 0—5 वर्ष तक के बच्चों एवं अन्य लाभार्थियों के मात्र 16 प्रतिशत बच्चों के ही आधार नामांकन हो पाए है। 0—5 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों का शत—प्रतिशत आधार पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 19 जनवरी, 2017 से "आधार नामांकन हेतु विशेष कैम्प" अभियान के रूप में आयोजित किए जाएगें, जिसमें समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी का आधार नामांकन किया जाए।

इन विशेष कैम्पों का आयोजन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया जाएगा। जिले में विशेष कैम्पों के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु जिला स्तर पर उपनिदेशक, मबावि तथा उपनिदेशक (एसीपी) डिपार्टमेन्ट ऑफ आईटी द्वारा मिलकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों तथा गैर पंजीकृत लाभार्थियों के जल्दी कवरेज के लिए संयुक्त कार्ययोजना बनायेंगे। कार्ययोजना बनाते समय निम्न सुझावों/निर्देशों का ध्यान रखा जाना प्रस्तावित है :—

1. उपनिदेशक मबावि द्वारा जिले के प्रत्येक बाल विकास परियोजना का राजपोषण में उपलब्ध डेटा (सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता के मोबाईल नम्बर, आंगनबाड़ी केन्द्र तथा ग्राम पंचायत का विवरण) तथा केन्द्रवार आधार पंजीकरण से वंचित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या तैयार करके excel प्रारूप में DOIT&C विभाग के एसीपी को उपलब्ध करायेगे।
2. एसीपी जिले में ब्लॉकवाईज आधार नामांकन हेतु गैर पंजीकृत आधार लाभार्थियों की संख्या के अनुरूप जिले में कार्यरत नामांकन एजेन्सियों के पास मशीनों/आधार नामांकन किट/ टैबलेट किट की उपलब्धता के अनुसार प्रतिदिन कैम्प की कार्ययोजना तैयार करेंगे। कार्ययोजना अनुसार प्रतिदिन अधिकतम कैम्पों का सफल आयोजन के लिए लाभार्थियों की कैम्प स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने का कार्य संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा।
3. कैम्प स्थल का चयन करते समय आधार नामांकन हेतु आवश्यक संसाधन जैसे— स्थान, बिजली तथा नेटवर्क कनेक्टिवीटी को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा।
4. इन विशेष कैम्पों के आयोजन हेतु स्थानीय स्तर पर सुविधा के अनुसार कलस्टर रूप में कैम्प का आयोजन अटल सेवा केन्द्र/आंगनबाड़ी केन्द्र/ई—मित्र आदि पर भी किया जा सकता है।
5. प्रत्येक कैम्प दिवस का बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक कम से कम एक आधार नामांकन कैम्प पर अनिवार्य रूप से जाकर व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे तथा उन में शत

प्रतिशत आधार नामांकन सुनिश्चित करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका के माध्यम से तिथि तथा स्थान का पर्याप्त प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे।

6. हाल ही में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शिक्षा विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए पंचायत स्तर पर इस प्रकार के आधार कैम्पों का सफल आयोजन कराया गया है। इस लिए कार्ययोजना तैयार करते समय जिले तथा ब्लॉक स्तर पर इन विभागों द्वारा अपनायी गयी रणनीति पर भी विचार किया जाये।
7. आयुवर्ग 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन में उनके बायोमैट्रिक्स (अंगुलियों की छाप) नहीं ली जाती है लेकिन माता अथवा पिता (जिनका आधार कार्ड बना हुआ हो) का आधार नम्बर तथा उंगुली की छाप ली जाती है। अतः माता–पिता में से कोई एक नामांकन के समय आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। यदि माता–पिता दोनो का ही आधार नामांकन नहीं हुआ है तो पहले उनका नामांकन किया जायेगा, उसके बाद बच्चे का।
8. प्रत्येक महिला पर्यवेक्षक को अपने सेक्टर में आयोजित किए जाने वाले शिविरों के पश्चात सभी आंगनबाडी के बच्चों के शत प्रतिशत आधार नामांकन पुरा करने का प्रमाण बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
9. भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप आंगनबाडी केन्द्र के शत प्रतिशत लाभार्थियों का आधार पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है। इन कैम्पों के आयोजन को प्राथमिकता दी जाए।

दिनांक 19 जनवरी, 2017 से आयोजित किये जाने वाले विशेष आधार कैम्पों की पूर्व तैयारी तथा जिलेवार कार्ययोजना की समीक्षा हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग व सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संयुक्त रूप से राज्य स्तर के सभी 33 जिला मुख्यालय पर वीसी द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2017 को सायः 5.00 बजे की जा सकती है। जिसमें समस्त उपनिदेशक अपने जिले की कार्ययोजना के साथ तथा समस्त एसीपी, DOIT&C नामांकन एजेन्सियों के उपलब्ध संसाधनों की सूची के साथ भागलेंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

शासन सचिव
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर

शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(51)Aadhar/IEC/ICDS/2015/ 6429-6770 ***जयपुर,दिनांक :*** 12.1.2017
क्रमांक F11(201)/DoIT/Project/13/I/ ***जयपुर,दिनांक :***

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. डॉ. हंसराज यादव, अतिरिक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी (UID), सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलकमार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
5. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।
6. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं,
7. श्री दिलीपकुमार, एपलिकेशन एनालिस्ट (UIDAI), सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलकमार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाए
राजस्थान, जयपुर